फर्द अहकाम

क्र 2019/00265

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 242/2008 अनवान सिरेकंवर वगैरा बनाम जसकरण के कामु. मांगीलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.) नाबि 59/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
8 / 2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री अमृत परिहार उपस्थित। वकील प्रतिवादी धीरजकुमार सान्दु अनुपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि वकील वादी श्री अमृत परिहार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वाद के लंबित रहते हुये वादी संख्या–04 रतनकंवर पुत्री अबेदानजी धर्मपत्नि ईश्वरदानजी जाति चारण निवासी धाणदा हाल रेन्दडी तहसील सोजत की मृत्यु दिनांक 09.05.2017 को हो चुकी है, जिनके कायम मुकाम ईश्वरदान पुत्र मेघदानजी , छैलसिंह पुत्र ईश्वरदान एवं किशनसिंह पुत्र ईश्वरदान है, जो रतनकंवर की चल अचल सम्पति पर काबिज है एवं मृत रतनकंवर को कानूनन रिप्रजेन्ट करते है, अतः इन्हे बतौर कायम मुकाम रेकर्ड में लिये जाने की दलील दी गई। इसके साथ ही दलील दी जा रही हैं कि वादी संख्या–01 सिरेकंवर की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके कायम मुकाम वाद शीर्षक पर पहले से मौजुद होने से सिरकंवर का नाम वाद शीर्षक से हटाये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विभाजन का वाद है। जिसमें वादी संख्या–04 रतनकंवर की मृत्यु दिनांक 09.05.2017 को हुई। तथा प्रार्थना पत्र मृत्यु के नौ माह बाद दिनांक 25.09.2018 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत होने से मयाद विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अवधि पार है, परन्तु चूंकि उक्त वाद विभाजन का वाद है, एवं मृत वादीगण के अलावा अन्य वादीगण वाद शीर्षक पर मौजुद है, जिससे बाद अवलोकन पत्रावली व आदेश 22 नियम 3, 9 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी के प्रावधानो अनुसार प्रार्थना पत्र अधिवक्ता वादी स्वीकार किया जाता है। मृत वादी संख्या–04 रतनकंवर के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा साथ ही वादी संख्या–01 सिरेकंवर के वारिशान वाद शीर्षक पर पहले से मौजुद होने से वादी संख्या–01 सिरेकवर का नाम डिलिट किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील वादी इस बाबत् संशोधित शीर्षक शीघ्र पेश करे। मिसल वास्ते प्रस्तुती संशोधित शीर्षक दिनांक 30-9-2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner